संख्या– ✓ /X–2–2018–12(39)2012

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक(HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 **देहरादून दिनांक 09 अगस्त, 2018**

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर योजना "वन पंचायतो की सुदृढ़ीकरण योजना" हेतु स्वीकृत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्र संख्या नि0–2571/3–5(व0पं0सु0) दिनांक 27.06.2018 एवं पत्र संख्या नि0–2249/3–5(व0पं0सु0) दिनांक 05.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–27 के अंतर्गत राज्य सैक्टर योजना "**वन पंचायतो की सुदृढ़ीकरण योजना**" हेतु स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार **₹86.50 लाख (₹ छियासी लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–27 **(धनराशि हजार ₹ में)**

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
2406–वानिकी तथा वन्य जीवन 01–वानिकी 101–वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण 09–वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना 04–यात्रा व्यय	850
08–कार्यालय व्यय	500
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	220
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	330
18–प्रकाशन	100
25–लघु निर्माण कार्य	2500
29–अनुरक्षण	1000
42–अन्य व्यय	1500
44–प्रशिक्षण व्यय	1650
योग	**8650**

(₹ छियासी लाख पचास हजार मात्र)

1. मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि का व्यय उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दि0 27.06.2018 के साथ संलग्न मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–403/3–3(5) दिनांक 01.05.2018 मे प्रदर्शित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों के अनुसार ही सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त लक्ष्यों में परिवर्तन किया जाना हो तो शासन की अनुमति के उपरान्त ही लक्ष्य संशोधित किये जायेंगे।
2. मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों में से किसी भी कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो तथा वृहद् निर्माण कार्य की लागत ₹5.00 लाख से कम करने के लिए उसके टुकडे न किये जाए। सर्वप्रथम गत वर्षो के अवशेष कार्य पूर्ण किये

जाय तदोपरांत ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय।

3. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दि0 02.04.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जाए, जिस हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
5. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
6. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
7. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य किये जाय।
8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 मे स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना **"वन पंचायतो की सुदृढ़ीकरण योजना"** के उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0–S1808270033 दिनांक 06/08/2018 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या– 1551 /X–2–2018–12(39)2012 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **1551/X-2-2018-12(39)2012**

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - **S1808270033**

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र दिनांक -06-Aug-2018

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण

09 - वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना (2406 01 80

00 - 0

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	0	850000	850000
08 - कार्यालय व्यय	0	500000	500000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	220000	220000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	0	330000	330000
18 - प्रकाशन	0	100000	100000
25 - लघु निर्माण कार्य	0	2500000	2500000
29 - अनुरक्षण	0	1000000	1000000
42 - अन्य व्यय	0	1500000	1500000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	1650000	1650000
	0	**8650000**	**8650000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 8650000